राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

सत्यमेव जयते

अग्रहायण 13, गुरूवार, शाके 1947- दिसम्बर 04, 2025
Agrahayana 13, Thursday, Saka 1947- December 04, 2025

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

HOME DEPARTMENT
(GROUP V)
NOTIFICATION
Jaipur, December 03, 2025

G.S.R.108 .-In exercise of the powers conferred by section 24 of the Rajasthan Honour of Dead Body Act, 2023 (Act No. 21 of 2023), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.-(1)These rules may be called the Rajasthan Honour of Dead Body Rules, 2025.
(2) They shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette**.**

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
(a) **“Act”** means the Rajasthan Honour of Dead Body Act, 2023 (Act No. 21 of 2023);
(b) **"Executive Magistrate"** means the Executive Magistrate appointed by the State Government under section 14 or section 15 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023; and
(c) "**Form**" means form appended to these rules.
(2)Words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Public Authority.-For the purpose of the Act, following shall be the public authorities, namely:-

(i) all Municipalities of the State;
(ii) all panchayats of the State; and
(iii) any other body specially authorized by the State Government, from time to time, to perform last rites of a dead body.

4. Notice to perform last rites.-The executive magistrate, on receipt of information under section 7 of the Act, shall serve notice to the family members of the deceased to perform the last rites. The notice shall be sent in the form appended to these rules, through special messenger, e-mail or any other electronic mode.

5. Storage of dead bodies in hospital.- (1) At the time of storage of dead bodies it shall be ensured that the dead bodies are segregated based on gender and are kept in dignified manner.
(2) Clothing of the deceased should be collected, examined as well as preserved and sealed by the doctor conducting the autopsy and should be sent for further examination at the concerned forensic science laboratory. Further, it should be covered in special Body Bags for proper transportation.
(3) The Hospital administration shall not retain any dead body on the ground of nonpayment of bills. The hospitals must hand over the body to the family of the deceased or to the public authority in a dignified manner.
(4) Regular mopping and cleaning of mortuary should be undertaken so that the dead bodies remains preserved in a proper and clean environment and dignity of dead bodies should be maintained.
(5) The Hospital administration should maintain confidentiality of clinical records and must have a mechanism for guarding information related to the deceased, especially for cases that are stigmatized or socially criticised.
(6) Post mortem room should not come under the direct line of sight of the general public/visitors. To ensure the same, provision of curtain, screen or buffer area may be made in a post mortem room.
(7) The mortuary administration may sensitize the staff, from time to time, to train them in handling of the dead body and deal with the attendants of the deceased with sensitivity.

6. Photography and Videography of the Post-mortem.- (1) Photography and videography shall be done so as to maintain a proper record of the unclaimed dead body, which may be used for identification of dead body:

Provided that photographs of the unclaimed dead body shall be used by the Data Bank as primary identification information while videos may be used for confirmatory purposes.

Provided further that for the use of finding missing persons,the Data Bank shall upload only photographs on web portal and videography may be shown only when a person claims and proves to be the family member of the unclaimed dead body.
(2) Videography and photography of the dead body shall be done by a professional photographer, who shall ensure that such videos shall not be used by him for any purpose other than the purpose specified in these rules and the Act.

7. Data Bank, Web portal and Digitalization.- (1) If dead body of a person remains unclaimed, such dead body shall be stored in the hospital as mentioned in section 9 of the Act and the experts from the post-mortem team shall collect DNA sample from the dead body and send for DNA analysis. On receipt of the DNA analysis report same shall be forwarded to the Data Bank along with the general identification information such as photograph, name etc and other biological samples, if any:

Provided that, the dead bodies stored in hospital may be disposed as per the provisions of section 15 of the Act:
(2) The Data Bank shall, after receipt of DNA analysis report, upload the general identification information on the web portal created under section 13 of the Act, so as to tally the above data with that of missing persons.
(3) Data Bank shall maintain a dataset of death cases for unidentified dead bodies on the web portal.
(4) Data Bank and Web portal shall be monitored and maintained by the State Forensic Science Laboratory, Jaipur.

(5) Whenever there is any calamity or disaster or major accident, etc., leading to deaths of persons being away from family, the Government should create a 24x7 Helpline facility on the web portal to help the families of deceased persons for collection of body or to report any grievance regarding any unethical behavior such as assault or any inhuman conduct with the body of the deceased.

FORM
Notice to Family Members for performing last rites
(see rule 4)

To

Mr./Mrs./Miss __________________,
____
____
____

Subject :For performing last rites of the dead body**.**

WHEREAS the Officer-in-charge of Police Station ...., District**................,** Rajasthan has informed me that the dead body of ________________________(Name of the deceased) is being used or likely to be used for remonstration purpose by you or your family or someone else and you are not willing to perform the last rites of the deceased, which is against the provisions of the Rajasthan Honour of Dead Body Act, 2023 (Act No. 21 of 2023).

On being satisfied by the report of the Officer-in-charge of Police Station, you are requested to perform the last rites of the deceased person within twenty four hours, failing to do so within twenty four hours, the last rites will be performed by the Public Authority. If you have sufficient reason for not performing last rites of the deceased within twenty four hours, you shall convey the same to the undersigned before the aforesaid twenty four hours**.**

Dated

Signature and seal of
the Executive Magistrate

[No. F.11(1)Home-5/2022]
By order of the Governor,

L.R.Meena
Deputy Secretary to the Government.

गृह विभाग

(ग्रुप-5)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 03, 2025

जी.एस.आर.108 :-राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम सं. 21) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत शरीर का सम्मान नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को और से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.-(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क)**"अधिनियम"** से राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम सं. 21) अभिप्रेत है;

(ख) **''कार्यपालक मजिस्ट्रेट''** से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 14 या 15 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है; और

(ग) **''प्ररूप''** से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें समनुदिष्ट किये गये हैं।

3. लोक प्राधिकारी.- अधिनियम के प्रयोजन के लिए, लोक प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

(i) राज्य की समस्त नगरपालिकाएं;

(ii) राज्य की समस्त पंचायतें; और

(iii)किसी मृत शरीर का अंतिम संस्कार संपादित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य निकाय।

4. अंतिम संस्कार संपादित करने के लिए नोटिस.- अधिनियम की धारा 7 के अधीन सूचना की प्राप्ति पर, कार्यपालक मजिस्ट्रेट अंतिम संस्कार संपादित करने के लिए मृतक के कुटुम्ब सदस्यों को नोटिस तामील करायेगा। नोटिस विशेष संदेशवाहक, ई-मेल या अन्य किसी इलैक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से इन नियमों से संलग्न प्ररूप में भेजा जायेगा।

5. अस्पताल में मृत शरीरों का भंडारण.- (1) मृत शरीरों के भंडारण के समय, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मृत शरीरों को लिंग के आधार पर अलग-अलग किया जाये और गरिमापूर्ण रीति से रखा जाये।

(2) मृतक के वस्त्र शव-परीक्षा कर रहे चिकित्सक द्वारा संगृहीत, परीक्षित साथ ही परिरक्षित और मुहरबंद किये जायेंगे और अतिरिक्त परीक्षण के लिए संबंधित विधि विज्ञान प्रयोगशाला को प्रेषित किये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, समुचित परिवहन के लिए इसे विशेष बॉडी बैग्स में ढका जाना चाहिए।

(3) अस्पताल प्रशासन बिलों के असंदाय के आधार पर किसी मृत शरीर को कब्जे में नहीं रखेगा। अस्पताल मृतक के कुटुम्ब को या लोक प्राधिकारी को गरिमापूर्ण रीति से मृत शरीर सौंप देगा।

(4) शवगृह का नियमित पोचा और सफाई की जानी चाहिए ताकि मृत शरीर समुचित और स्वच्छ पर्यावरण में परिरक्षित रह सकें और मृत शरीरों की गरिमा बनायी रखी जानी चाहिए।

(5) अस्पताल प्रशासन को नैदानिक अभिलेखों की गोपनीयता बनाये रखनी चाहिए और मृतक से संबंधित सूचना, विशेषत: उन मामलों, जो कलंकित या सामाजिक रूप से आलोचित हैं, की रक्षा के लिए एक तंत्र होना आवश्यक है।

(6) मरणोत्तर परीक्षा कक्ष समान्य जनता/परिदर्शकों की सीधी दृष्टि में नहीं आना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए, मरणोत्तर परीक्षा कक्ष में पर्दा, स्क्रीन या प्रतिरोधक क्षेत्र का प्रबंध किया जा सकेगा।

(7) शवगृह प्रशासन कर्मचारिवृन्द को समय-समय पर संवेदनशील बना सकेगा, मृत शरीर के रख-रखाव और संवेदनशीलता के साथ मृतक के परिचरों के साथ व्यवहार करने का उन्हें प्रशिक्षण दे सकेगा।

6. मरणोत्तर परीक्षा की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी.- (1) अदावाकृत मृत शरीर का समुचित अभिलेख संधारित करने के लिए उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जायेगी, जो मृत शरीर की पहचान के लिए उपयोग में ली जा सकेगी:

परंतु अदावाकृत मृत शरीर के फोटोग्राफ डाटा बैंक द्वारा प्राथमिक पहचान सूचना के रूप में उपयोग में लिये जायेंगे जबकि वीडियो पुष्टिकारी प्रयोजनों के लिए उपयोग में लिये जा सकेंगे:

परंतु यह और कि लापता व्यक्तियों का पता लगाने के उपयोग के लिए, डाटा बैंक वेब-पार्टल पर केवल फोटोग्राफ ही अपलोड करेगा और वीडियोग्राफी केवल तभी दिखायी जा सकेगी जब कोई व्यक्ति अदावाकृत मृत शरीर के कुटुम्ब का सदस्य होने का दावा करता है और ऐसा साबित करता है।

(2) मृत शरीर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वृत्तिक फोटोग्राफर द्वारा की जायेगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा ऐसे वीडियो अधिनियम और इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं किये जायेंगे।

7. डाटा बैंक, वेब-पोर्टल और डिजीटलाइजेशन.- (1) यदि किसी व्यक्ति का मृत शरीर अदावाकृत रहता है तो ऐसा मृत शरीर, जैसा कि अधिनियम की धारा 9 में उल्लिखित है, अस्पताल में भंडारित किया जायेगा और शव परीक्षण दल से विशेषज्ञ मृत शरीर से डीएनए सैंपल संगृहीत करेंगे और डीएनए विश्लेषण के लिए प्रेषित करेंगे। डीएनए विश्लेषण रिपोर्ट की प्राप्ति पर वह सामान्य पहचान सूचना जैसे कि फोटोग्राफ, नाम इत्यादि और अन्य जैव नमूनों यदि कोई हों, के साथ डाटा बैंक को अग्रेषित की जायेगी:

परंतु अस्पताल में भंडारित मृत शरीरों का अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों के अनुसार निपटारा किया जा सकेगा।

(2) डीएनए विश्लेषण रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् डाटा बैंक, अधिनियम की धारा 13 के अधीन सृजित वेब-पोर्टल पर सामान्य पहचान सूचना को अपलोड करेगा जिससे लापता व्यक्तियों के साथ उपर्युक्त डाटा मिलान किया जा सके।

(3) डाटा बैंक, वेब-पोर्टल पर बिना पहचाने गये मृत शरीरों के मृत्यु के मामलों का डाटासेट संधारित करेगा।

(4) डाटा बैंक और वेब-पोर्टल, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर द्वारा मानीटर और संधारित किये जायेंगे।

(5) जब कभी विपत्ति या विभीषिका या बड़ी दुर्घटना, इत्यादि हो, जिसमें कुटुम्ब से दूर व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है तो सरकार को मृत शरीर के संग्रहण या मृतक के शरीर के साथ अनैतिक व्यवहार जैसे कि हमला या किसी अमानवीय आचरण के संबंध में किसी शिकायत की रिपोर्ट करने के लिए मृतक व्यक्तियों के कुटुम्बों की मदद के लिए वेब-पोर्टल पर 24×7 हेल्पलाईन सुविधा सृजित करनी चाहिए।

प्ररुप
अंतिम संस्कार संपादित करने के लिए
कुटुम्ब सदस्यों को नोटिस
(नियम 4 देखिए)

प्रेषिति,

श्री/श्रीमती/सुश्री ________________,
____
____
____

विषय : मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए।

यतः पुलिस थाना ...., जिला ...., राजस्थान के भारसाधक अधिकारी ने मुझे सूचित किया है कि ________________ (मृतक का नाम) के मृत शरीर का प्रयोग आपके द्वारा या आपके कुटुम्ब या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विरोध प्रयोजन के लिए किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है और आप मृतक का अंतिम संस्कार संपादित करने के इच्छुक नहीं हैं जो राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम सं. 21) के उपबंधों के विरुद्ध है।

पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी की रिपोर्ट द्वारा समाधान होने पर, आपसे मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार चौबीस घटों के भीतर संपादित करने की अपेक्षा की जाती है, चौबीस घंटे के भीतर ऐसा करने में असफल रहने पर, अंतिम संस्कार लोक प्राधिकारी द्वारा संपादित किया जायेगा। यदि आपके पास मृतक का अंतिम संस्कार चौबीस घंटे के भीतर संपादित नहीं करने का पर्याप्त कारण है तो आप पूर्वोक्त चौबीस घंटे से पूर्व इससे अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे।

दिनांक कार्यपालक मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर और मुहर

[सं.प.11(1)गृह-5/2022]
राज्यपाल के आदेश से,

एल.आर.मीना,
शासन उप सचिव।

Government Central Press, Jaipur.